भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 706

जिसका उत्तर 7फरवरी, 2024 को दिया जाना है ।

18 माघ, 1945 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर

706. श्री राजीव प्रताप रुडी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापित किए गए कुल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की संख्या कितनी है;

(ख) मौजूदा ईएमसी में अपनी इकाइयां स्थापित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय स्टार्ट-अप की कुल संख्या कितनी है और वर्तमान में उक्त के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं;

(ग)क्या यह सच है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है;

(घ)यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उद्योग द्वारा उत्पन्न राजस्व का ब्यौरा और अगले पांच वर्षों में विकास की संभावना क्या है;

(ङ)पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्यात के साथ कुल वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है; और

(च)वर्ष 2030 तक भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के केंद्र में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क)से (च):पिछलेकईवर्षोंमें, भारतकेइलेक्ट्रॉनिक्सपारिस्थितिकीतंत्रमेंजबरदस्तवृद्धिऔरविस्तार, निवेशऔररोजगारसृजनदेखागयाहै। वैश्विकइलेक्ट्रॉनिक्सआपूर्तिश्रृंखलामेंलगभगमहत्वहीनसे, भारतवर्तमानमेंइलेक्ट्रॉनिक्सजीवीसीमेंतेजीसेएकमहत्वपूर्णऔरविश्वसनीयप्लेयर बनरहाहै। अधिकांशवैश्विकऔरभारतीयइलेक्ट्रॉनिक्सब्रांडइसक्षेत्रमेंनिवेशकररहेहैं, बढ़रहेहैंऔररोजगारतैयार कररहेहैं। भारतसरकारकालक्ष्यदेशकेइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्षेत्रकोव्यापकऔरसुदृढ़ करकेइलेक्ट्रॉनिक्सजीवीसीमेंभारतकीहिस्सेदारीबढ़ानाहै।

सरकारनेदेशमेंसेमीकंडक्टरसहितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकोबढ़ावादेनेतथाइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंऔरउपकरणोंमेंबड़ेनिवेशकोप्रोत्साहितकरनेकेसाथ-साथनिर्यातकोबढ़ावादेनेकेलिएअनेकउपायकिएहैं।

इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिए, इलेक्ट्रॉनिकी औरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय (एमईआईटीवाई) नेअक्टूबर, 2012 मेंइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी) योजनाअधिसूचितकीताकिइलेक्ट्रॉनिक्ससिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्रमेंनिवेशकोआकर्षितकरनेकेलिएविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकीजासके।

इसयोजनाकेतहत, 3,499 करोड़रुपयेकीपरियोजनालागतकेसाथ 3,464 एकड़क्षेत्रमें 19 ग्रीनफील्डईएमसीऔर 3 सामान्यसुविधाकेंद्रों (सीएफसी) को 1,470 करोड़ रूपए के सहायता अनुदान के साथ देशभरकेपंद्रह (15) राज्योंमेंमंजूरीदीगईहै।

देशमेंमजबूतइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रबनानेकेलिएबुनियादीढांचेकोमजबूतकरनेकीआवश्यकताकेआधारपर, इलेक्ट्रॉनिकी और

सूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयने 1 अप्रैल, 2020 कोसंशोधितइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शुरूकी, जिसमेंकोईभीराज्यसरकारयाराज्यकार्यान्वियनएजेंसी (एसआईए) आदियाएंकरयूनिट (यूनिटें) याकिसीअन्यऔद्योगिकएस्टेट / औद्योगिकपार्कडेवलपरकेसाथऐसीएजेंसियोंकासंयुक्तउद्यमअपनाआवेदनप्रस्तुतकरसकताहै। यहयोजनामार्च, 2024 तककीअवधिकेलिएआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहैऔरमार्च, 2028 तककीआगेकीअवधिअनुमोदितपरियोजनाओंकोधनकेवितरणकेलिएउपलब्धहै। देशभर के 6 राज्यों में ईएमसी 2.0 योजनाकेतहत, आईएनआर 1111.37 करोड़कीकेंद्रीयसहायताअनुदानसहितआई एन आर 2323.81 करोड़ रूपए की परियोजना लागत पर 1696.43 एकड़केक्षेत्रमेंपांच (5) इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरऔरएक (1) सामान्यसुविधाकेंद्रकोमंजूरीदीगईहै। इसयोजनाकेतहतबिहारराज्यसेअबतककोईआवेदनप्राप्तनहींहुआहै। अनुमोदितईएमसीमें, 388 कंपनियोंने 59,327 करोड़रुपयेकेअनुमानितनिवेशकेसाथविनिर्माणस्थानलियाहैऔर इसके द्वारा 2.63 लाखलोगोंकेलिएरोजगारसृजित करनेकीक्षमताहै। इनमेंसे 106 कंपनियांपहलेसेही 16,995 करोड़रुपयेकेनिवेशकेसाथउत्पादनमेंहैंऔर 67,270 लोगोंकोरोजगारप्रदानकियाहै। अन्य 137 कंपनियांनिर्माणचरणमेंहैं। ईएमसीमेंबुनियादीढांचेकेविकासकेलिए 1 करोड़सेअधिकमानवदिवसतैयारकिएगएहैं। इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकाघरेलूउत्पादन 2013-14 मेंआईएनआर 1.80 लाखकरोड़ (29.8 बिलियनअमरीकीडालर) सेबढ़कर 2022-23 (102 बिलियनअमरीकीडालर) मेंआईएनआर 8.22 लाखकरोड़होगयाहै, जो 18.4% कीचक्रवृद्धिवार्षिकवृद्धिदर (सीएजीआर) परहै, जिसके 2026 तक 23,95,195 करोड़रुपये (यूएसडी 300 बिलियन) तकबढ़नेकीउम्मीदहै। इलेक्ट्रॉनिकसामानोंकानिर्यातभीवित्तवर्ष 2013-14 मेंआईएनआर 47,557 करोड़ (यूएसडी 7.86 बिलियन) सेबढ़करवित्तवर्ष 2022-23 मेंआईएनआर 1,89,934 करोड़(23.5 बिलियनअमेरिकीडॉलर) होगयाहै, जो 16.7% कीचक्रवृद्धिवार्षिकवृद्धिदर (सी ए जी आर) (उद्योगअनुमानोंकेअनुसार)प्रदर्शितकरताहै।

भारतकोवैश्विकइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणहबकेरूपमेंपरिणतकरनेकेलिएसरकारद्वाराउठाएगएकदम**अनुबंध**मेंदिएगएहैं।

****

अनुबंध

भारतसरकारकालक्ष्यदेशकेइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोव्यापकऔरसुदृढ़ करनाहै। सेमीकंडक्टर्ससहितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकोबढ़ावादेनेऔरभारतकोइलेक्ट्रॉनिकीप्रणालीडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) केलिएएकवैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापितकरनेऔरवैश्विकस्तरपरप्रतिस्पर्धाकरनेकेलिए, सरकारद्वारानिम्नलिखितकदमउठाएगएहैं:

1. **राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकीनीति 2019**: राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकी नीति2019 (एनपीई 2019) को 25.02.2019 कोअधिसूचितकियागयाहै। एनपीई 2019 काविजनचिपसेटसहितमुख्यघटकोंकोविकसितकरनेकेलिएदेशमेंक्षमताओंकोप्रोत्साहितकरनेऔरचलानेऔरउद्योगकेलिएविश्वस्तरपरप्रतिस्पर्धाकरनेकेलिएएकसक्षमवातावरणबनानेकेलिएइलेक्ट्रॉनिक्ससिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) केलिएभारतकोवैश्विककेंद्रकेरूपमें**स्थापित करना** है ।

इलेक्ट्रॉनिक्समूल्यश्रृंखलामेंबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेऔरप्रोत्साहितकरनेऔरनिर्यातकोबढ़ावादेनेकेलिए, एनपीई 2019 केतत्वावधानमेंनिम्नलिखितपांच योजनाओंकोअधिसूचितकियागयाहै:

(i) **बड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेलिएउत्पादनलिंक्डप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई)** 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकीगईथी, ताकिमोबाइलफोनविनिर्माणऔरअसेंबली, परीक्षण, मार्किंगऔरपैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयोंसहितनिर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकघटकोंकेविनिर्माणमेंशामिलवृद्धिशीलबिक्री (आधारवर्षमें) परपात्रकंपनियोंको 4% से 6% काप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके।

(ii) आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) को 03 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें भारत में निर्मित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष में) पर 4% से 2%/1% का प्रोत्साहन प्रदान किया गया था और पात्र कंपनियों को चार (4) वर्षों की अवधि के लिए लक्षित खंड के तहत कवर किया गया था। पीएलआई योजना के तहत लक्षित खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट, (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं।

iii. आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0: 29 मई, 2023 को 17,000 करोड़रुपयेकेबजटीयपरिव्ययकेसाथअधिसूचितकीगईथी। यहयोजनाआवेदकोंकेलिएअत्यधिक लचीलापनऔरविकल्पप्रदानकरतीहै, औरविकासकोऔरप्रोत्साहितकरनेकेलिएवृद्धिशीलबिक्रीऔरनिवेशसीमासेजुड़ीहुईहै। इसकेअलावा, सेमीकंडक्टरडिजाइन, आईसीविनिर्माणऔरपैकेजिंगकोआईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0 केप्रोत्साहनघटकोंकेरूपमेंभीशामिलकियागयाहै। यहलैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वनपीसी, सर्वरऔरअल्ट्रास्मॉलफॉर्मफैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणोंमेंबड़ेपैमानेपरविनिर्माणकोबढ़ावादेगा।

iv. इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमिकंडक्टरोंकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस) को 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकियागयाथा, जिसमेंइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकीडाउनस्ट्रीममूल्यश्रृंखला, यानीइलेक्ट्रॉनिकघटकों, **सेमिकंडक्टर**/डिस्प्लेफैब्रिकेशनइकाइयों, एटीएमपीइकाइयों, विशेषउप-असेंबलीऔरपूंजीगतवस्तुओंकेनिर्माणकेलिएइलेक्ट्रॉनिकसामानोंकीपहचानकीगईसूचीकेलिएपूंजीगतव्ययपर 25% कावित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकियागयाथा। यहयोजना 31.03.2024 तकप्रोत्साहनकेसंवितरणकेसाथ 31.03.2024 तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहै।

v. **संशोधितइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना**को 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकियागयाथा, ताकिदेशमेंइकाइयांस्थापितकरनेकेलिएप्रमुखवैश्विकइलेक्ट्रॉनिक्सनिर्माताओंकोआकर्षितकरनेकेलिएरेडीबिल्टफैक्ट्री (आरबीएफ) शेड/प्लगएंडप्लेसुविधाओंसहितसामान्यसुविधाओंऔरसुविधाओंकेसाथविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकीजासके। यहयोजनापूरेदेशमेंईएमसीपरियोजनाओंऔरसामान्यसुविधाकेंद्रों (सीएफसी) दोनोंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै। यहयोजनामार्च, 2024 तककीअवधिकेलिएआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहैऔरमार्च, 2028 तककीआगेकीअवधिअनुमोदितपरियोजनाओंकोधनकेवितरणकेलिएउपलब्धहै।

2. **सेमीकंडक्टर्सऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगइकोसिस्टमकेविकासकेलिएकार्यक्रम:** इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकोविस्तृत औरसुदृढ़ करनेकेलिए, केंद्रीयमंत्रिमंडलने 15.12.2021 कोसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगइकोसिस्टमकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपयेकेपरिव्ययकेसाथएकव्यापककार्यक्रमकोमंजूरीदी।कैबिनेट की मंजूरी के साथ, पहले से ही स्थापित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों और उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों की सीमित संख्या में कंपनियों द्वारा पेश किए गए अत्यधिक प्रोत्साहनों को देखते हुए कार्यक्रम को 21.09.2022 को और संशोधित किया गया है।संशोधितकार्यक्रमकाउद्देश्यसेमीकंडक्टर, डिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगऔरडिजाइनइकोसिस्टममेंनिवेशकरनेवालीकंपनियोंकोवित्तीयसहायताप्रदानकरनाहै।यहवैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्समूल्यश्रृंखलाओंमेंभारतकीबढ़तीउपस्थितिकामार्गप्रशस्तकरनेकाकामकरेगा।संशोधितकार्यक्रमप्रौद्योगिकी नोडोंकेसाथ-साथकम्पाउंड सेमिकंडक्टर, पैकेजिंगऔरअन्यसेमिकंडक्टरसुविधाओंकेलिएसेमीकंडक्टरफैब्सकेलिएसमानरूपसेपरियोजनालागतके 50% कीराजकोषीयसहायताप्रदानकरताहै।

पात्रआवेदकोंकेलिएअबनिम्नलिखितवित्तीयप्रोत्साहनउपलब्धहैं:

क. इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोमजबूतकरनेऔरएकविश्वसनीयमूल्यश्रृंखलास्थापितकरनेमेंमददकरनेकेलिएदेशमेंसेमीकंडक्टरवेफरफैब्रिकेशनसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेकेलिए‘**भारतमेंसेमीकंडक्टर फैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**’। यहयोजनाभारतमेंसिलिकॉनसीएमओएसआधारितसेमीकंडक्टरफैबकीस्थापनाकेलिए*समरूपआधारपर*परियोजनालागतके 50% कीराजकोषीयसहायताप्रदानकरतीहै।

ख. इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोमजबूतकरनेकेलिएदेशमेंटीएफटीएलसीडीयाएमोलेडआधारितडिस्प्लेपैनलकेनिर्माणकेलिएबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेकेलिए **'भारतमेंडिस्प्लेफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना'**। यहयोजनाभारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिए*समरूप आधारपर*परियोजनालागतके 50% तककीवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।

ग. **'भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर, फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स, फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित स्कीम'**भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित), फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% की राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।

घ. **'सेमीकॉनइंडियाफ्यूचरडिजाइन: डिजाइनलिंक्डइंसेंटिव (डीएलआई) योजना'**एकीकृतसर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टमऑनचिप्स (एसओसी), सिस्टमऔरआईपीकोरऔरसेमीकंडक्टरलिंक्डडिजाइनकेलिएसेमीकंडक्टर

डिजाइनकेविकासऔरनियोजन केविभिन्नचरणोंमेंवित्तीयप्रोत्साहन, डिजाइनबुनियादीढांचेकासमर्थनप्रदानकरतीहै। यहयोजना 5 वर्षोंमेंप्रतिआवेदनआई एन आर 15 करोड़कीसीमाकेबशर्ते पात्रव्ययके 50% तकका "उत्पादडिजाइनलिंक्डप्रोत्साहन" औरप्रतिआवेदन₹ 30 करोड़कीसीमाकेअधीनशुद्धबिक्रीकारोबारके 6% से 4% का "नियोजन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदानकरतीहै।

उपर्युक्तस्कीमोंकेअतिरिक्त, सरकारनेसेमी-कंडक्टरप्रयोगशाला, मोहालीकेब्राउनफील्डफैबकेरूपमेंआधुनिकीकरणकाभीअनुमोदनकियाहै।

इंडियासेमीकंडक्टरमिशन ("आईएसएम"), नोडलएजेंसीको 'भारतमेंसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएयोजना' केतहततीन (3) आवेदनप्राप्तहुएहैं, और 'भारतमेंडिस्प्लेफैब्सकीस्थापनाकेलिएस्कीम' केतहतदो (2) आवेदनप्राप्तहुएहैं। मूल्यांकनप्रक्रियापूरीकरलीगईहै। तथापि, कोईभीआवेदनअनुमोदनकेलिएउपयुक्तनहींपायागया। इसकेअतिरिक्त, आईएसएमकोभारतमेंकंपाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स/सेंसरफैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैब्सऔरसेमीकंडक्टरअसेंबली, टेस्टिंग, मार्किंगएंडपैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएसंशोधितस्कीमकेतहतछह (6) आवेदनप्राप्तहुएहैं। इसयोजनाकेतहतएक (1) आवेदनकोमंजूरीदेदीगईहै।

3. **100% एफडीआई:** मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तें के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

4. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):** इस योजना को 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित किया गया था ताकि बाधाओं को दूर करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके। योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद वर्टिकल को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त, 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%। ये प्रोत्साहन संपूर्ण इलेक् ट्रॉनिक् स विनिर्माण मूल् य श्रृंखला को कवर करने वाले इलेक् ट्रॉनिक उत् पादों और घटकों की 44 श्रेणियों/वर्टिकल के लिए उपलब् ध हैं। यह योजना 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वयन मोड में है।

5. **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना:** निवेश को आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 22 अक्टूबर, 2012 को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना अधिसूचित की गई थी।

6. **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ):** इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) को पेशेवर रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में भाग लेने के लिए "फंड ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है जो बदले में स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस फंड से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ईडीएफ के माध्यम से आईएनआर 409 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता 9 डॉटर फंडों को आईएनआर 2,626 करोड़ के लक्षित कोष के साथ दी गई है।

7. मोबाइल फोनों और उनके उप-असेंबली/पुर्जों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के **लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)** अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, भारत ने तेजी से इस क्षेत्र में

निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और देश में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल फोनों का विनिर्माण सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) से कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्तर तक लगातार बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है

8. अन्य बातों के साथ-साथ सेल्युलर मोबाइल फोनों, टेलीविजनों, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्सों, एलईडी उत्पादों और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **प्रशुल्क संरचना** को युक्तिसंगत बनाया गया है।

9. **पूंजीगतसामानपरमूलसीमाशुल्कसेछूट**:विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूंजीगतवस्तुओंकोशून्यमूलसीमाशुल्कपरआयातकीअनुमतिहै।

10. **प्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात**: : इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के आयात को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 11.06.2018 माध्यम से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियमावली , 2016 में संशोधन के माध्यम से सरल बनाया गया है।

11. **उम्रबढ़नेकेप्रतिबंधमेंढील**: राजस्व विभाग ने अधिसूचना सं.60/2018-सीमा शुल्क दिनांक 11.09.2018 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क दिनांक 14.11.1995 में संशोधन किया है, जिसमें भारत में निर्मित और मरम्मत या मरम्मत के लिए भारत में पुनः आयात किए जाने वाले निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए उम्र बढ़ने के प्रतिबंध में 3 साल से 7 साल तक ढील दी गई है।

12. **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017: सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017:** 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश माध्यम से सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया हैऔर बाद में इसमें दिनांक 28.05.2018,29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 को संशोधन किए गए हैं । उपरोक्त आदेश के आगे, एमईआईटीवाई ने स्थानीय आपूतकर्ताओं से खरीदे जाने के लिए13 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, (i) डेस्कटॉप पीसी, (ii) पतले ग्राहक, (iii) कंप्यूटर मॉनिटर, (iv) लैपटॉप पीसी, (v) टैबलेट पीसी, (vi) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, (vii) संपर्क और संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, (viii) एलईडी उत्पाद, (ix) बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल / प्रमाणीकरण उपकरण, (x) बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, (xi) बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर, (xii) सर्वर, और (xiii) सेल्यूलर मोबाइल फोनके लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र अधिसूचित किया है ।

13. **अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ)**: एमईआईटीवाई ने भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात को रोककर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुपालन हेतु "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। सीआरओ के तहत 63 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है और यह आदेश 63 उत्पाद श्रेणियों पर लागू है।

14. **गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम केंद्र और इनक्यूबेटर की स्थापना:** "गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम केंद्र और उच्च शक्ति और उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनक्यूबेटर की स्थापना" के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एस आई डी) द्वारा लागू की जाएगी, जिसे नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर (सीईएनएसई), बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आई आई एस सी) के तत्वावधान में "फाउंडेशन फॉर साइंस, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट" नामक धारा 8 कंपनी में परिवर्तित किया जा रहा है।

****